

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिक्षा/माध्य/पीएसपीसी/आरटीई/पूर्व परिवेदना निस्तारण/60364/18-19

दिनांक: 11.1.19

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय)
.....समस्त

विषय:—आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर-सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर गत शैक्षिक सत्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन एवं फीस के पुनर्भरण से शेष रहे विद्यालयों के परिवेदना प्रकरणों के संबंध में।

संदर्भ:—राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर के पत्रांक RCSCE/RTE/JAI/18-19 /SLCC /9572 Date:-19-12-2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों की एन्ट्री कक्षा में 25 प्रतिशत सीट्स पर असुविधाग्रस्त समूह एवं दुर्बल वर्ग के बालकों को निःशुल्क प्रवेश दिये जाने तथा निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराये जाने का प्रावधान है तथा इन विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जाता है।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर के संदर्भित पत्र के अनुरूप राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय की पालना में विगत वर्षों में गैर-सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन एवं फीस के पुनर्भरण से शेष रहे विद्यालयों के परिवेदना प्रकरणों पर निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:—

- 01 सभी जिशिअ कार्यालय अपने क्षेत्र के सभी गैर-सरकारी विद्यालयों को प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उक्त आशय की परिवेदनाएं निर्धारित समय सारणी के अनुरूप प्रस्तुत करने हेतु समाचार प्रसारित करवाएंगे।
- 02 गैर-सरकारी विद्यालयों से परिवेदना प्राप्त होने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दो सदस्यों का जांच दल गठित कर संलग्न प्रारूप क (संलग्न-1) में जांच करवाई जायेगी।
- 03 जांच दल के अध्यक्ष के रूप में एक राजपत्रित अधिकारी यथा प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता को लगाया जाये तथा सदस्य के रूप में अध्यापक अथवा लिपिक/समकक्ष कार्मिक को लगाया जाये।
- 04 जांचदल प्राप्त परिवेदनाओं की कार्यालय स्तर पर ही प्रारम्भिक जांच कर प्रारूप-क पूर्ण करेगा। अति आवश्यक होने पर ही विद्यालय की प्रारम्भिक स्तर पर जांच की जा सकती है।
- 05 रिपोर्ट के आधार पर जिशिअ माशि द्वारा अपनी स्पष्ट अभिशंभा सहित प्रकरण के संबंध में की जाने वाली आगामी कार्यवाही प्रस्तावित कर इस कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी। संबंधित जिशिअ के द्वारा अग्रेषण टिप्पणी नहीं होने की स्थिति में परिवेदना को अप्राप्त समझा जायेगा।

समय सारणी

क.स.	कार्यवाही विवरण	निर्धारित तिथि
01	जिशिअ द्वारा उक्त आशेय की सूचना प्रसारित करवाना	31.01.2019 तक
02	गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा परिवेदना जिशिअ स्तर पर भिजवाना।	15.02.2019 तक
03	जिशिअ स्तर पर गठित कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना	20.02.2019 तक
04	जिशिअ द्वारा प्रारूप-क को ई-मेल द्वारा निदेशालय प्रेषित करवाना	22.02.2019 तक
05	जिशिअ द्वारा परिवेदना की हार्ड कॉपी मय दस्तावेज निदेशालय तक पहुंचाना।	28.02.2019 तक

संलग्न :- प्रारूप-क

(नथमल डिंडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
03. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
04. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
05. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त सूचना पोर्टल पर उपलब्ध करावें।
06. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक(माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप-क:-

गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्राप्त परिवेदनाओं के संबंध में प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट

गैर सरकारी विद्यालय का नाम

गैर सरकारी विद्यालय का पीएसपी कोड.....

जांच दल के अधिकारी/कार्मिक का नाम मय पद एवं मोबाईल नम्बर.....

परिवेदना

परिवेदना किस सत्र से संबंधित है	परिवेदना का प्रकार (भौतिक सत्यापन से संबंधित/ आरटीई पुनर्भरण से संबंधित/ आरटीई पोर्टल से संबंधित/ निशुल्क सीट्स पर प्रवेश के सम्बन्ध में)	परिवेदना पर संक्षिप्त टिप्पणी	प्रभावित होने वाले आरटीई विद्यार्थियों की संख्या	कुल राशि जिसकी मांग की गई है	प्रकरण के बकाया रहने का कारण	प्रथम दृष्टया दोष निर्धारण	प्रथम दृष्टया दोषी (अधिकारी /कार्मिक /गैर सरकारी विद्यालय)
1	2	3	4	5	6	7	8

जांचदल द्वारा टिप्पणी

जांचदल का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि-

1. गैर सरकारी विद्यालय द्वारा प्राप्त परिवेदना की प्रारम्भिक जांच कर ली गई है। प्रस्तुत परिवेदना पूर्णतः सही है।
2. प्रस्तुत परिवेदना में किसी तथ्य को छुपाया/घटाया/बढ़ाया नहीं गया है।
3. प्रस्तुत परिवेदना का आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध सूचना से मिलान कर लिया गया है जिसमें कोई विसंगति नहीं पायी गई है।
4. सभी कॉलम की पूर्ति कर ली गई है, कोई भी कॉलम रिक्त नहीं है।

जांच दल के सभी प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर मय नाम

जिला शिक्षा अधिकारी भाशि द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही मय टिप्पणी

3

जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर